



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 125554

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक अपील संख्या - 2013 वर्ष 2026**

चालू उर्फ दुर्गेश

.....अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता : विजय कुमार मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

**न्यायालय संख्या - 1**

**माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह**

1. सूची पुनरीक्षित की गई। नोटिस तामील होने के बावजूद प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

2. अपीलकर्ता के अधिवक्ता और राज्य की ओर से ए.जी.ए.. की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड देखा।

*अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।*

*सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



3. यह आपराधिक अपील, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14-ए(2) के तहत दायर की गई है। अपीलकर्ता ने चित्रकूट में एससी/एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश द्वारा 02.02.2026 को पारित आदेश को रद्द करने की मांग की है। यह आदेश आपराधिक विविध जमानत अर्जी संख्या 62/2026 (एस.एस.टी. संख्या 01/2026) में दिया गया था, जो मुकदमा अपराध संख्या - 669/2025 से संबंधित है। यह मामला बीएनएस की धाराओं 105, 115(2), 352, 351(3) और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं 3(1)(आर), 3(1)(एस) और 3(2)(वी) के तहत दर्ज किया गया था (पुलिस स्टेशन करवी, जिला चित्रकूट), जिसमें अपीलकर्ता की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी।

4. संक्षेप में, अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि इस मामले में पहली सूचना रिपोर्ट 21.10.2025 को बिट्टी देवी ने अपीलकर्ता और 3 अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि 20.10.2025 को रात लगभग 8 बजे मुकेश ने उनके पति केवल राम से शराब पीने के लिए पानी लाने को कहा, जिस पर उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद चारों आरोपियों ने उन्हें गालियां दीं और लाठी-डंडे से उन पर हमला किया, जिससे उनके सिर पर गंभीर चोट आई। उन्होंने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। उस चोट के कारण वे बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें सोनपुर के जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से उन्हें बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया गया। इसके बाद उनका इलाज स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल, प्रयागराज में हुआ।

5. अपीलकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्ता पूरी तरह से बेगुनाह है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। अपीलकर्ता के खिलाफ कोई सीधा या अप्रत्यक्ष सबूत नहीं है। सभी आरोपियों पर, जिसमें अपीलकर्ता भी शामिल है, लाठी, डंडे और लोहे की रॉड से मारपीट करने के केवल सामान्य आरोप लगाए गए हैं। अपीलकर्ता की कोई खास भूमिका नहीं बताई गई

*अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।*

*सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



हैं। अपीलकर्ता के पास से या उसकी निशानदेही पर कोई भी आपत्तिजनक चीज़ बरामद नहीं हुई है। उन्होंने आगे कहा कि इसी तरह के मामले में शामिल सह-आरोपी विजय तिवारी को इस न्यायालय की एक दूसरी बेंच ने अपराधिक अपील संख्या 2411/2026 में 15.05.2026 को दिए गए आदेश से ज़मानत दे दी है; ज़मानत आदेश की कॉपी रिकॉर्ड पर रखी गई है। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि इसी तरह के मामले में शामिल सह-आरोपी को ज़मानत मिल गई है, इसलिए समान भूमिका वाले अपीलकर्ता को भी समानता के आधार पर ज़मानत मिलनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक का पिछला आपराधिक इतिहास रहा है जिसमें एक मामला शामिल है जिसमें वह ज़मानत पर है; ज़मानत आदेश की कॉपी हलफनामे के साथ एनेक्शर संख्या 8 के तौर पर लगाई गई है। अपीलकर्ता 26.11.2025 से जेल में बंद है और अगर उसे ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वह ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।

6. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए.. ने अपीलकर्ता की ज़मानत की अर्ज़ी का ज़ोरदार विरोध किया, लेकिन समानता के आधार पर मामले पर कोई आपत्ति नहीं जताई।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति, सबूतों, आरोपी की संलिप्तता, मौजूदा अपीलकर्ता की भूमिका और चोट की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय का मानना है कि अपीलकर्ता ज़मानत का हकदार है। अवर न्यायालय ने अपीलकर्ता की ज़मानत अर्ज़ी को खारिज करने में गलती की थी। विवादित आदेश में खामी और कानूनी त्रुटि है, इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए।

**अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।**

**सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**



8. नतीजतन, अपील सफल होती है और अनुमति दी जाती है। 2026 के आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 62 में विद्वान विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी अधिनियम, चित्रकूट द्वारा पारित दिनांक 02.02.2026 के आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है।

9. अपीलकर्ता-चालू उर्फ दुर्गेश को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का पर्सनल बॉन्ड और दो विश्वसनीय जमानतदार पेश करने पर उक्त मुकदमा अपराध संख्या में जमानत पर रिहा किया जाए, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

(i) अपील करने वाला व्यक्ति अभियोजन पक्ष के सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही मामले की जानकारी रखने वाले किसी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा देगा, जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी अधिकारी के सामने उन तथ्यों को बताने से पीछे हट जाए।

(ii) अपील करने वाले को विचारण की कार्यवाही में सहयोग करना होगा और तय की गई हर तारीख पर विचारण न्यायालय के सामने मौजूद रहना होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय उसे व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट न दे दे।

(iii) अपील करने वाले को विचारण न्यायालय में एक अंडरटेकिंग (लिखित वचन) देना होगा कि जब अभियोजन पक्ष के गवाह मौजूद हों और सबूत पेश करने के लिए तारीख तय हो, तो वह कोई अनावश्यक स्थगन नहीं मांगेगा। ऐसा न करने पर, विचारण न्यायालय इसे जमानत की आज़ादी का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार उचित आदेश दे सकता है।

(iv) अपील करने वाला किसी भी तरह से जमानत की आज़ादी का दुरुपयोग नहीं करेगा।

**अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।**

**सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**



(v) अगर अपील करने वाला विचारण के दौरान ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बी.एन.एस.एस. की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है, और वह उस उद्घोषणा में तय तारीख पर न्यायालय के सामने पेश नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(vi) अपील करने वाले व्यक्ति को विचारण न्यायालय के सामने इन तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहना होगा: (a) मुकदमा शुरू होने पर, (b) आरोप तय होने पर, और (c) बी.एन.एस.एस की धारा 351 के तहत बयान दर्ज होने पर। अगर विचारण न्यायालय को लगता है कि ऐसी किसी तारीख पर उसकी अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना किसी ठोस कारण के है, तो विचारण न्यायालय इस चूक को ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई कर सकता है।

(vii) अपील करने वाले व्यक्ति की रिहाई के बाद विचारण न्यायालय मुकदमे को जल्द से जल्द पूरा करने की हर संभव कोशिश करेगा।

10. ज़मानत बॉन्ड स्वीकार करने से पहले संबंधित न्यायालय ज़मानत देने वालों की पहचान, स्थिति और निवास के प्रमाण की पुष्टि करेगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर बताई गई शर्तों का जानबूझकर उल्लंघन करने पर कानून के अनुसार परिणाम होंगे और संबंधित न्यायालय अपील करने वाले व्यक्ति को दी गई ज़मानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

**4 जून, 2026**

*अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।*

*सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



अजीत

(न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह)

Translated version. Not for legal use.

**अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।**

**सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**